राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1690/2010/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त–II, राजस्थान, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मेडिक्योर फार्मा,
केसरगढ़ कम्पाऊण्ड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 15/02/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 132/199/आरएसटी/03–04/ए/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–द्वितीय, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 29, 58, 65, 63, 631, 62 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2000–01 के लिये पारित आदेश दिनांक 29.03.2003 में कर रूपये 61,343/– सरचार्ज रूपये 5,551/– ब्याज रूपये 25,326/– एवं शास्ति रूपये 1,25,162/– की सृजित मांग राशि के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश को आंशिक रूप से अपास्त कर अपील स्वीकार की गयी थी जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2003 में कर चुके माल की खरीदी एवं बिक्री वापसी एवं खरीद पर डिस्टाउण्ट राशि पर लाभ जोड़ते हुए कर का आरोपण किया गया था। इसके अलावा अपीलार्थी के द्वारा स्कीम के तहत् प्राप्त माल एवं बदले हुए माल पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया था तथा स्टॉक रजिस्टर नहीं रखने एवं विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शास्ति का आरोपण किया गया था। उस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई जिसमें कर चुकी बिक्री व खरीद की वापसी पर किये गये करारोपण को अपास्त किया गया एवं रिप्लेसमेन्ट के रूप में प्राप्त माल को कर

लगातार.....3

चुका होने की वजह से आरोपित कर को निरस्त किया गया। इसके अलावा व्यवहारी द्वारा माल की खरीदी पर स्कीम के रूप में प्राप्त माल को भी जमा खर्च होने एवं बिना कोई विक्रय प्रमाणित कर आरोपित किये गये कर, ब्याज व शास्ति को भी अपास्त किया गया। इसके अलावा पर्चेज पर प्राप्त डिस्काउण्ट पर एवं क्रय वापसी पर भी किये गये करारोपण को अपास्त किया गया एवं उक्त माल पर किये गये करारोपण के साथ करापवंचन के आरोप में आरोपित की गई शास्ति को भी अपास्त कर दिया गया। इसके अलावा विवरण पत्रों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर आरोपित शास्ति एवं स्टॉक रजिस्टर नहीं रखने की शास्ति एवं अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2001 में किये गये करारोपण रूपये 17,253/– ब्याज रूपये 2,585/– एवं शास्ति रूपये 39,640/–को यथावत रखा गया। उक्तानुसार पारित अपील निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अतिरिक्त आरोपित कर में से रूपये 34,090/– सरचार्ज रूपये 2,966/– ब्याज रूपये 12,258/– तथा शास्ति रूपये 82,372/– को अविधिक रूप से अपास्त किया है। व्यवसायी के आलौच्य अवधि के कर निर्धारण में अतिरिक्त आरोपित कर एवं शास्ति को विधिसम्मत बताते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील आधार एवं कर निर्धारण में आरोपित अतिरिक्त कर एवं ब्याज तथा शास्ति के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2001 को सर्वेक्षण के आधार पर पारित किया गया था जिसमें आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आदेश में सम्मिलित की गई राशि को यथावत रखा गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में प्रत्येक बिन्दु पर कर आरोपण को उचित रूप से अविधिक मानते हुए अपास्त किया है क्योंकि व्यवसायी की कर चुके माल की खरीद बिक्री वापसी पर एवं डिस्काउंट की राशि पर तथा स्कीम में प्राप्त माल की अतिरिक्त बिक्री को प्रमाणित किये बिना जो करारोपण किया गया था वह अनुचित पाया था इसलिये ब्याज एवं संबंधित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः अपीलीय आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है।

6. फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य